

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/1913

भोपाल, दिनांक 12/05/23

प्रति,

परियोजना निदेशक,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई,

खण्डवा, मध्यप्रदेश।

विषय:- खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु बड़वाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वन भूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB 031/2022-BHO दिनांक 11.05.2023

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार बिन्दु क्रमांक 01 एवं 04 आपसे संबंधित जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल


पृ. क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/1914

भोपाल, दिनांक 12/05/23

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, बड़वाह/खण्डवा, मध्यप्रदेश की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार के पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 02, 03 एवं 05 आपसे संबंधित है। आप अपने-अपने वन मण्डल से संबंधित जानकारी एवं आवेदक संस्थान से प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीबी 031/2022 बीएचओ/

दिनांक : 11/05/2023.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्यप्रदेश) ।

विषय: खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/ चौड़ीकरण हेतु 4.138 हेक्टेयर (3.20 हे. बड़वाह वनमण्डल, 0.477 हे. वनभूमि तथा 0.461 हे. राजस्व वनभूमि खण्डवा वनमण्डल) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीबी 031/2022-बीएचओ दिनांक 17/01/2023.
2. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1161/2022/10-11/1019 दिनांक 09/03/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य संबंधित जानकारियों/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अतः निम्नलिखित जानकारियों/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

- Component wise breakup of proposed land shall be submitted. VA
- As per proposed area (22° 3'19.26"N, 76°7'43.57"E) in Sanawad range, it appears that approx. 934 meter the road already constructed. It shall be clarified. OF
- In the proposed Khandwa range area, a building has been constructed (Coordinate: 21°53'27.22"N, 76°10'57.22"E) on the proposed route. It shall be clarified. OF
- As per submitted full route KML of proposed area, it appears that some part of proposed route is overlapped with already approved proposal of 16.81 ha (FP/MP/ROAD/32174/2018). It shall be clarified. VA
- Since violation has been reported, a detailed report in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines needs to be submitted, w.r.t. - Extent/Area of violation, Date of reporting of violation, Date when cognizance /action was taken, Authority on whose orders violation was committed. Action taken Report shall be submitted. OF

If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by a State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act, as may be applicable, against the authority causing the violation of Forest (Conservation) Act, 1980.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय

Hare Ram Kumar
(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar

Date: 11-05-2023 10:50:32

Reason: Approved